हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, की वित्त समिति की दिनांक 02/07/2009 को सम्पन्न 55वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थित हुये :

1	श्रीमती वृन्दा सरूप प्रमुख सचिव व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं अध्यक्ष, वित्त समिति, एच0बी0टी0आई0 कानपुर।	अध्यक्ष
2	श्री रंजन मिश्र उपसचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।	सदस्य
3	श्री एस0एस0 राम निदेशक प्राविधिक शिक्षा, (उ0प्र) कानपुर।	सदस्य
4	प्रो0 आर0के0 खितौलिया निदेशक एच0बी0टी0आई0, कानपुर।	सदस्य–सचिव

बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :–

1.	प्रो0 एस0जी0 धान्डे निदेशक आई0आई0टी0 कानपुर।	सदस्य

55.01 वित्त समिति की दिनांक 11.08.2008 को सम्पन्न हुयी 54वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण

समिति ने दिनांक 11.08.08 को सम्पन्न हुयी 54वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

55.02 वित्त समिति की दिनांक 11.08.2008 को सम्पन्न हुयी 54वीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण

समिति ने दिनांक 11.08.08 को सम्पन्न हुयी 54वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत होने के साथ–साथ यह भी निर्देश प्रदान किये कि 54 वीं बैठक में अनुमोदित अवशेष कार्यो की प्रगति आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

55.03 शासनादेश संख्या 857/सोलह-1-2009-8 (12)/2009 दिनांक अप्रैल 9, 2009 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2009-10 के प्रथम तीन माह के लिये आवश्यक मदों हेतु अनुमोदित वित्तीय बजट पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विचार।

समिति ने शासनादेश संख्या 857 / सोलह–1–2009(12/2009) दिनांक 9 अप्रैल 2009 दिनांक 09 अप्रैल,2009 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2009–10 के प्रथम तीन माह के लिये आवश्यक मदों हेतु स्वीकृत बजट पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

55.04 वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुमानित आयोजनेत्तर आय–व्ययक पर विचार।

समिति ने वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09 में किये गये व्यय विवरणों का अवलोकन किया तथा वर्ष 2009–10 के लिये प्रस्तावित बजट रू0 1614.66 लाख के व्यय प्राविधानों पर अनुमोदन प्रदान किया। उक्त व्यय प्राविधानों की प्रतिपूर्ति शासन से अवमुक्त अनुदान रू0 418.59 लाख, फीस एवं अन्य श्रोतों से आय रू0 994.87 लाख तथा पूर्व वर्ष की बचत रू0 353.00 लाख के सापेक्ष किया जायगा। समिति के अध्यक्ष महोदया द्वारा संस्थान को मिलने वाले फीज अनुदान रू0 490.59 लाख को पूर्ण रूप से अवमुक्त कराने हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये कि संस्थान का आडिट सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त चार्टेड एकाउन्टेन्ट से कराया जाय एवं चार्टेड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति हेतु सम्यक प्रस्ताव समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। संस्थान की बेबसाइट पर प्रशासकीय परिषद,प्रशासनिक समिति एवं वित्त समिति के निर्णयों के साथ–साथ संस्थान की आय–व्यय का ब्यौरा अपलोड किया जाय। समिति ने यह भी निर्देश दिये कि संस्थान की आय में बढोत्तरी करने हेतु संस्थान के शिक्षकों को परीक्षण एवं परामर्श करने हेतु उत्साहित किया जाय। वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये प्रस्तावित अनुमानित बजट का मदवार विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	मद	वर्ष 2008 – 09 हेतु वित्त समिति द्वारा अनुमोदित बजट (रू0 लाख में)	वर्ष 2008 – 09 में वास्तविक व्यय (रू0 लाख में)	वर्ष 2009–10 हेतु अनुमानित बजट (रू0 लाख में)
1	वेतन भत्ते			
	(अ) शिक्षक			
	(क) वेतन	241.18		244.43
	(ख) महगाई वेतन	103.63		122.[illegible]
	(ग) महगाई भत्ता	128.27		172.3[illegible]
	(घ) अन्य भत्ते	14.13		16.[illegible]

	(ब) प्रशासन			
	(क) वेतन	20.61		47.45
	(ख) मंहगाई वेतन	10.25		1.25
	(ग) मंहगाई भत्ता	12.61		11.42
	(घ) अन्य भत्ते	2.55		6.23
	(स) शिक्षणेत्तर कर्मचारी			
	(क) वेतन	122.88		299.82
	(ख) मंहगाई वेतन	61.26		-
	(ग) मंहगाई भत्ता	74.85		65.68
	(घ) अन्य भत्ते	16.15		27.67
	(द) एरियर			64.82
	योग (अ+ब+स+द)	808.37	782.49	**1078.62**
2.	यात्रा व्यय	2.00	1.80	2.00
3.	कार्यालय व्यय	18.00	11.19	18.00
4.	टेलीफोन व्यय	3.00	2.92	3.00
5.	गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	2.50	2.05	2.25
6.	व्यावसायिक एव विधिक सेवाओं के लिये भुगतान	3.00	2.40	2.50
7.	विज्ञापन	15.00	9.99	15.00
8.	छात्रवृत्ति	6.00	4.08	6.00
9.	किराया उपशुल्क तथा कर स्वामित्व	15.00	4.67	15.00
10.	भवनों / सड़कों / 33 / 11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के संचालन एवं मशीनों आदि का रखरखाव	42.00	27.60	45.00
11.	डिपार्टमेन्टल आपरेटिंग कास्ट आदि का रखरखाव			
	(क) विभागीय व्यय	15.00	14.81	15.00
	(ख) विद्युत व्यय	40.00	38.66	70.00
12.	विभागीय शैक्षिक व्यय	6.30	0.40	5.00
13.	स्पोर्टस गेम्स एण्ड अदर एक्टीविटीज / छात्र क्रियाकलाप	1.00	11.78	12.00
14.	चिकित्सालय	4.00	1.76	5.00
15.	पुस्तकालय	28.50	27.85	28.50
16.	आडिट फीस	10.00	10.00	15.00
17.	चयन समिति के विशेषज्ञों तथा बोर्ड आफ स्टडीज के मा0 सदस्यों का मानदेय	0.50	0.10	1.00
18.	सुरक्षा गार्ड व्यवस्था	16.20	13.05	20.00
19.	सेवायोजन एवं सम्बन्धी सेवायें	1.00	-	1.00
20.	शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा व्ययों के प्रतिपूर्ति	4.00	1.10	4.00
21.	इन्टरनेट	10.00	9.62	12.00
22.	छात्रावास के संचालन, रखरखाव, सुरक्षा एवं विद्युत व्यय इत्यादि।	61.77	61.77	85.00
23.	परीक्षा संचालन	40.00	40.00	45.00
24.	अप्रवाशी भारतीय छात्रों से प्राप्त शुल्क के सापेक्ष अवस्थापना एवं विकास के प्रस्ताव	-	-	108.79 (अस्वीकृत)
	योग	1150.89	1080.09	1614.66

शासन से प्राप्त अनुदान (–)	-	418.59	418.59
संस्थान की प्राप्तियाँ (–)	-	886.15	994.87
पूर्व वर्षो की बचत (–)		133.35	358.00
बचत		358.00	156.80

नोट :– समिति ने कमांक–24 के प्रस्ताव रु0 108.79 को अस्वीकृत करते हुए संस्थान के निदेशक को छात्रों के कल्याण हेतु वरीयता मद में प्रस्ताव को पुनः समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये।

55.05 **भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के वर्ष 2008–09 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 2009–10 के अनुमानित आय व्ययक पर विचार**

समिति ने भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिये वर्ष 2008–09 के वास्तविक एवं वर्ष 2009–10 के अनुमानित आय व्ययक पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

55.06 **वाह्य संगठनों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न शोध एवम् अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत आय एवम् व्ययक का विवरण।**

समिति ने संस्थान में वाह्य संगठनों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न शोध परियोजनाओं से प्राप्त धनराशि के आय एवं व्ययक विवरण का अवलोकन किया।

55.07 **शासनादेश सं0 1437/प्रा0शि0–1–1992 दिनांक 08.04.1992 के बिन्दुओं पर कमवार विवरण ।**

समिति ने उक्त शासनादेश के परिपेक्ष्य में बैठक की कार्यसूची में प्रस्तुत मदवार विवरण का अवलोकन किया।

55.08 **संस्थान की निष्प्रयोज्य स्टाफकार UP78-S-7733 को नीलाम न किये जाने तथा उक्त कार को मैकेनिकल इंजीनियरिग विभाग के छात्रो को Automobile के सम्बन्ध में अध्यापन कराने हेतु मैकेनिकल इंजीनियरिग विभाग को निशुल्क उपलब्ध कराये जाने पर विचार।**

समिति ने निष्प्रयोज्य घोषित स्टाफ कार यू0पी078–एस–7733 को छात्रो के अध्ययन हेतु मैकेनिकल इंजी0 विभाग की आटोमोबाइल प्रयोगशाला हेतु निःशुल्क दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

55.09 **संस्थान के अतिथि गृह मे सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कराये जाने हेतु एक स्वच्छकार संविदा पर रखे जाने पर विचार।**

समिति ने अतिथि गृह में सफाई व्यवस्था हेतु एक स्वच्छकार को पूर्व की भॉति न्यूनतम वेतन पर संविदा के आधार पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की।

55.10 **संस्थान के केन्द्रीय भण्डार के हार्डवेयर स्टोर में पड़े निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी एवं चलन से बाहर उपकरणों/समानों आदि के निस्तारण पर विचार।**

समिति ने केन्द्रीय भण्डार में हार्डवेयर स्टोर में पडे निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी एवं चलन से बाहर उपकरणों/समानों आदि के निस्तारण पेपर टेण्डर के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करके नीलाम किये जाने पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया कि बाहर के किसी विभाग के अधिकारी को नीलामी में सदस्य के रुप म रखा जाय तथा रु0 4345.81 बुक वैल्यू के पुराने केमिकल्स को राइट आफ करने की स्वीकृति प्रदान की।

55.11 पी0एच0डी0 छात्रो द्वारा किये जाने वाले कोर्स वर्क के वास्ते लिये जाने वाले शुल्क के सम्बन्ध में।

समिति ने पी0एच0डी0 छात्रों द्वारा किये जाने वाले कोर्स वर्क हेतु रु0 1000/- प्रति कोर्स शुल्क लिए जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

55.12 संस्थान में नवनिर्मित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, नवीन पुस्तकालय भवन एवं नवनिर्मित छात्रा-छात्रावास के लिये सुरक्षा व्यवस्था हेतु 10 सुरक्षा कर्मियों को बढाये जाने पर विचार।

समिति ने, नवनिर्मित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, नवीन पुस्तकालय एवं नवनिर्मित छात्रा-छात्रावास की सुरक्षा हेतु 10 अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

55.13 संस्थान में टयूबवेल आपरेटरों, स्वच्छकारों एवं ड्राइवरों के रिक्त पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन बढाये जाने पर विचार।

समिति ने संविदा पर कार्य कर रहे टयूबवेल आपरेटरों, स्वच्छकारों एवं ड्राइवरों को श्रम विभाग द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के लिए स्वीकृत न्यूनतम वेतन के आधार पर भुगतान किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

55.14 संस्थान के दोनों प्रांगणों मे सुचारू रुप से इन्टरनेट सुविधा प्रदान करने हेतु दो प्रशिक्षित कर्मियों के रखे जाने पर विचार।

समिति ने संस्थान के दोनो प्रांगणों में इन्टरनेट सुविधा का संचालन शिफ्टवार संस्थान कर्मियों द्वारा कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

55.15 अप्रवासी भारतीय छात्रों से प्राप्त शिक्षण शुल्क को संस्थान के अवस्थापना एवं विकास में व्यय किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

समिति ने अप्रवासी भारतीय छात्रों से प्राप्त शुल्क के सापेक्ष प्रस्तुत व्यय प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निर्देशित किया कि उक्त धनराशि को छात्रों के शैक्षिक विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों को संस्थान के निदेशक अलग से प्रस्तुत करें।

55.16 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान किये जाने के फलस्वरूप शैक्षिक सत्र 2008-09 की परीक्षा संचालन हेतु बजट अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

समिति ने परीक्षा संचालन हेतु वर्ष 2008-09 के अनुमोदित बजट रु0 40.00 लाख पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही वर्ष 2009-10 के अनुमानित बजट रु0 45.00 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया।

55.17 नवनिर्मित 33/11 के0वी0 विद्युत आपूर्ति उपकेन्द के संचालन एवं रखरखाव हेतु संविदा पर तकनीकी सहायकों (विद्युत) को रखे जाने पर विचार।

समिति ने नवनिर्मित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के संचालन हेतु (8 x 3) शिफ्टवार तीन अनुभवी कर्मियों को रु0 5000/- प्रतिमाह संविदा/न्यूनतम वेतन के आधार पर रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

55.18 **निदेशक को संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये गये सरकारी आवास पर बिजली के बिल के भुगतान के सम्बन्ध में।**

समिति ने संस्थान निदेशक को उपलब्ध कराये गये सरकारी आवास के जिस हिस्से में निदेशक निवासरत हैं उसमें एक सब-मीटर लगाने एवं उसकी रीडिंग के अनुसार उसका भुगतान निदेशक के वेतन से काट लिये जाने तथा शेष भवन के हिस्से का बिद्युत देयक संस्थान द्वारा भुगतान किये जाने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की साथ ही यह व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के अप्रैल माह से लागू किये जाने पर भी अपना अनुमोदन प्रदान किया।

55.19 **संस्थान के आयोजनागत आय-व्यय पर विचार।**

समिति ने आयोजनागत मद में मिलने वाला अनुदान रु0 30.00 लाख के व्यय पर अनुमोदन प्रदान किया।

55.20 **अध्यक्ष महोदया की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।**

बैठक अध्यक्ष महोदया के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुयी।

(आर0के0 खितौलिया) सदस्य-सचिव	(रंजन मिश्रा) सदस्य	(वृन्दा सरुप) अध्यक्ष